न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./94/2025

1—लखमीचन्द पुत्र श्री चन्दू जाति जाटव निवासी—ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

..........प्रार्थी0

बनाम

नायब तहसीलदार, तहसील नदबई जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 54 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम वमुकदमे उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लखमी चन्द न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील विरुद्ध पीठासीन अधिकारी श्री पुष्कर सिंह चौधरी मु0सं0 24/2025, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा'91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः—

1—श्री गोविन्द सिंह डागुर, अभिभाषक प्रार्थी,

2—पैरोकार सरकार रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 11.02.2026**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध नायब तहसीलदार नदबई इस आशय का पेश किया गया, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक प्रकरण उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लखमी चन्द प्रकरण संख्या 24/2025 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई में विचाराधीन है। आराजी खसरा नं. 5360/2831/0.05 एवं 5362/2832/0.03 ग्राम कबई—II तहसील नदबई की किस्म गैरमुमकिन रास्ता की अनाधिकृत सरकारी भूमि पर सरसों बोकर अतिचार किया है। जिस पर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। आराजी खसरा नं. 2831, 2832 प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाई गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। एक व्यक्ति शशिकपूर पुत्र सोहन सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाईयों के विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलक्टर नदबई में प्रस्तुत किया था, उक्त न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये खसरा नं. 2831, 2832 में से खसरा नं. 2833 के लिए आने जाने हेतु 30 फुट चौडाई के रास्ते का आदेश पारित कर दिया। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। उपजिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.09.2024 की पालना में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में की जाकर आराजी खसरा नम्बर 5360/2831, 5362/2832 कर दी गई। आदेश की जानकारी 13.11.2025 को नायब तहसीलदार के द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम प्राप्त होने पर हुई। तत्पश्चात उप जिला कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 23.09.2024 की नकल आदि ली जाकर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। नायब तहसीलदार नदबई उपरोक्त प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जबाब एवं साक्ष्य लिये निस्तारण करने पर उतारू हैं जबकि मौके पर सरसों की फसल खडी हुई है और सभी भाईयों की सहखातेदारी की भूमि

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

है, यही नहीं शशि कपूर के नाम आराजी खसरा नं. 2833 रकवा 93 ऐयर में 11/30 हिस्सा दर्ज है। इसके अलावा और कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं है उक्त 11/30/0.19 ऐयर के लिए रास्ता दिया गया है जबकि 2833 में और भी सहखातेदार हैं उनकी ओर से कोई रास्ता नहीं चाहा गया है। इसके बाबजूद भी नायब तहसीलदार बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये मौके पर खडी सरसों की फसल को नष्ट कर कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2025 को न्यायालय में खुलेआम कहा या तो आप सरसों की फसल को हटाकर रास्ता बना दो नही तो वह पुलिस की सहायता से हटा देगा। इसलिये प्रार्थी को पूरी आशंका हो गई है कि प्रार्थी को नायब तहसीलदार नदबई से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई में विचाराधीन प्रकरण को भरतपुर के किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। नायब तहसीलदार नदबई से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। नायब तहसीलदार नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक प्रकरण उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लखमी चन्द प्रकरण संख्या 24/2025 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई में विचाराधीन है। आराजी खसरा नं. 5360/2831/0.05 एवं 5362/2832/0.03 ग्राम कबई–II तहसील नदबई की किस्म गैरमुमकिन रास्ता की अनाधिकृत सरकारी भूमि पर सरसों बोकर अतिचार किया है। जिस पर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। आराजी खसरा नं. 2831, 2832 प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाई गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। एक व्यक्ति शशिकपूर पुत्र सोहन सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाईयों के विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलक्टर नदबई में प्रस्तुत किया था, उक्त न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये खसरा नं. 2831, 2832 में से खसरा नं. 2833 के लिए आने जाने हेतु 30 फुट चौडाई के रास्ते का आदेश पारित कर दिया। और उक्त आदेश दिनांक 23.09.2024 की पालना राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में की जाकर आराजी खसरा नम्बर 5360/2831, 5362/2832 कर दी गई। आदेश की जानकारी 13.11.2025 को नायब तहसीलदार के द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम प्राप्त होने पर हुई। तत्पश्चात उप जिला कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 23.09.2024 की नकल आदि ली जाकर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। नायव तहसीलदार नदबई उपरोक्त प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जबाव एवं साक्ष्य लिये निस्तारण करने पर उतारू हैं जबकि मौके पर सरसों की फसल खडी हुई है और सभी भाईयों की सहखातेदारी की भूमि है,यही नहीं शशि कपूर के नाम आराजी खसरा नं. 2833 रकवा 93 ऐयर में 11/30 हिस्सा दर्ज है। इसके अलावा और कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं है उत 11/30/0.19

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

ऐयर के लिए रास्ता दिया गया है जबकि 2833 में और भी सहखातेदार हैं उनकी ओर से कोई रास्ता नहीं चाहा गया है। इसके बाबजूद भी नायब तहसीलदार बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये मौके पर खडी सरसों की फसल को नष्ट कर कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2025 को न्यायालय में खुलेआम कहा या तो आप सरसों की फसल को हटाकर रास्ता बना दो नही तो वह पुलिस की सहायता से हटा देगा। इसलिये प्रार्थी को पूरी आशंका हो गई है कि प्रार्थी को नायब तहसीलदार नदबई से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई में विचाराधीन प्रकरण को भरतपुर के किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जाहिर किया कि न्यायालय में मु.सं. 24/2025 उनवान राज0 सरकार बनाम लखमीचन्द पुत्र चन्दू जाति जाटव विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायालय में पटवारी रिपोर्ट 91 प्रस्तुत की गई। जिसमें बतलाया गया है कि अप्रार्थीगण लख्मीचन्द पुत्र चन्दू द्वारा आराजी ख.नं. 5360/2831 रकवा 0.05 है0 किस्म गै.मु. रास्ता के 0.02 है रकवे पर व 5362/2832 रकवा 0.03 है0 किस्म गै.मु. रास्ता के 0.03 है0 रकवे पर सरसों बोकर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। फिर भी श्रीमान चाहे तो किसी भी न्यायालय में उक्त पत्रावली को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि तहत न्यायालय में प्रार्थी के खिलाफ विचाराधीन प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट मे नायब तहसीलदार नदबई बिना साक्ष्य सबूत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी की सरसों की फसल को नष्ट कर जरिये पुलिस कब्जे से हटाये जाने की धमकी दी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की शंका को मध्येनजर रखते हुये हम प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई में विचाराधीन प्रकरण सं0 24/2025 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लखमी चन्द न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम को न्यायालय नायब तहसीलदार लखनपुर, तहसील नदबई में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार नदबई एवं नायब तहसीलदार लखनपुर, को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर